

77
गायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०



8-9-17

~~श्री निगरानी श्रृंखला~~

श्री निगरानी श्रृंखला 2017/3197

1. हीरालाल पाण्डेय उम्र 75 वर्ष तनय स्व० भुवनेश्वर प्रसाद पाण्डेय
2. मोतीलाल पाण्डेय उम्र 70 वर्ष तनय स्व० भुवनेश्वर प्रसाद पाण्डेय
3. आनंद प्रसाद पाण्डेय उम्र 48 वर्ष तनय स्व० श्री भोला प्रसाद पाण्डेय
4. दिलीप कुमार पाण्डेय तनय श्री मोतीलाल पाण्डेय उम्र 40 वर्ष
निवासीगण ग्राम गुढ़वा तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०
5. धर्मेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह उम्र 40 वर्ष
6. जगदीश अवधिया पिता छकौड़ीलाल उम्र 60 वर्ष
दोनो निवासी ग्राम गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०

—आवेदकगण

बिरुद्ध

1. प्रदीप कुमार उम्र 55 वर्षा तनय स्व० रामहर्ष पाण्डेय
2. योगेन्द्र कुमार उम्र 50 वर्ष तनय स्व० रामहर्ष पाण्डेय
3. ज्ञानवती उम्र 58 वर्ष पत्नी भास्कर प्रसाद अग्निहोत्री पुत्री स्व० रामहर्ष
पाण्डेय निवासी ग्राम दुआरी तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०
4. जयवंती उम्र 53 वर्ष पत्नी सुरेश कुमार अग्निहोत्री पुत्री स्व० रामहर्ष
निवासी ग्राम ममदर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म०प्र०
5. विहसवती उम्र 48 वर्ष पत्नी दिनेश कुमार दुबे पुत्री स्व० रामहर्ष पाण्डेय
निवासी ग्राम कोठार तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र०
6. प्रमोद कुमार पाण्डेय उम्र 44 वर्ष तनय स्व० श्री भोला प्रसाद पाण्डेय
7. प्रदीप कुमार पाण्डेय उम्र 55 वर्ष तनय स्व० श्री रामहर्ष पाण्डेय
8. योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उम्र 45 वर्ष तनय स्व० रामहर्ष पाण्डेय
- 9- देववती पत्नी शिव रघु
निवासीगण ग्राम गुढ़वा तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०

—अनावेदकगण

3

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय
अधिकारी तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0
दिनांक 27.07.17 जो प्रकरण क्रमांक

16/अ-6-अ/1998-99 पूर्ववर्ती प्र.क्र. 30A27./04-05

मान्यवर,

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्य:-

- अ. ग्राम गुढ़वा तथा भटिगवां की भूमियों के संदर्भ में आपसी सहमति के आधार पर स्व0 रामहर्ष निगरानीकर्ता एवं अनावेदक क्रमांक 6,7,8 के खाता बंटवारा हेतु आवेदन पत्र आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार, तहसील गुढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण क्रमांक 13/अ-27/2002-03 पंजीबद्ध करके दिनांक 24.01.2003 को खाता विभाजन/नामांतरण का आदेश पारित किया गया।
- ब. उक्त आदेश के अनुसार सभी हिस्सेदारों के हिस्से की भूमियों का इन्द्राज किया गया उसी क्र आधार ले करके अपने हितों को भूमि नं-1036 का बिक्रय पत्र भी रामहर्ष ने निष्पादित कराकर पंजीयन उर्मिला शुक्ला के हक में कराया बाद में रामहर्ष ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.01.03 दके बिरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहां दिनांक 18.03.05 को दायर किया अपील अवधि बाह्य थी, इस संबंध में धारा 5 अवधि अधिनियम के संबंध में सुनवाई किए बिना दिनांक 27.05.13 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने आवेदन पत्र स्वीकार किया। इसके बिरुद्ध राजस्व मंडल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो कि प्रकरण 2448/तीन/13 आदेश दिनांक 16.07.13 के द्वारा निगरानी स्वीकार करके उभयपक्षों की सुनवाई उपरान्त गुणदोष पर निर्णय देने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3197

हीरालाल आदि विरुद्ध प्रदीप कुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 16/अ-6-अ/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27-07-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(असोकें0 जैन) सदस्य 573/119</p>